ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की भूमिका–बस्ती जनपद के विशेष संदर्भ में

***पिंकी एवं **प्रोफेसर अर्चना पाठक**

*शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग,
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या।
**शोध निर्देशिका, समाजशास्त्र विभाग,
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या।

सारांश

वर्तमान आधुनिक युग में बराबरी समाज का प्रमुख लक्ष्य है और बहुत से आंदोलन, अधिनियम व योजनाएं इन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुड़ी हैं। वैश्विक समाज से लेकर भारतीय समाज तक में आधी आबादी जेंडर की सामाजिक असमानता के चलते आय, संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, और शक्ति से एक बड़े कालखंड से वंचित है, ग्रामीण भारत इसका सजीव चित्रण है। दुनिया भर के देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार के चलते 1975 के दशक में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वैश्विक स्तर से भारतीय स्तर तक अनेकानेक प्रयत्न हुए। इन्हीं में उल्लेखनीय है पंचायती राज व्यवस्था एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इनके द्वारा ग्रामीण वंचित महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित होने और उन्हें राजीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षमता प्रदान करने का निरंतर प्रयत्न हो रहा है।

प्रस्तावना

आज भी भारत में आजीविका का बड़ा आधार कृषि और गांव इसकी आत्मा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ थी जो वर्तमान में लगभग 139 करोड़ हो चुकी है और इसकी 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण भारत का हिस्सा है। यहां कृषि ही लोगों की आजीविका का प्रमुख आधार है। जनसंख्या वृद्धि एवं पारिवारिक बंटवारे के चलते घटते जोत के आकार एवं मानसून की निर्भरता के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकुचित होती जा रही है जिससे ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी, फलतः पलायन बढ़े हैं। शिक्षित महिला एवं पुरुष अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप आजीविका के लिए कस्बों और नगरों में पलायित हो जाते हैं लेकिन अशिक्षित एवं अकुशल ग्रामीण वंचनाओं के दंश के लिए विवश हैं। एक शिक्षित महिला जहां अपनी शिक्षा योग्यता व अभिरुचि के अनुरूप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती है वही एक अशिक्षित ग्रामीण महिला वंचना व अर्थाभाव के कारण श्रम साध्य कार्यों के लिए विवशता में आगे आती है।

गांव से शहरों की ओर पलायन को रोकने, ग्रामीणों को उनके निवास स्थान के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण भारत में ढांचागत सुधार, और ग्रामीण पारिवारिक जीवन स्तर को सुधारने एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रख्यात अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की अवधारणा के अनुरूप पंचायतीराज व्यवस्था की एक योजना के रूप में 5 सितंबर 2005 को

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में पारित किया गया। जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया इस अधिनियम को 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण के रूप में 200 ग्रामीण जिलों में कार्यान्वित करने के लिए सूचित किया गया इसके बाद दिनांक 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी रूप से महात्मा गांधी नरेगा के तहत शेष जिलों को अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2008 से महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाले जिलों को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

शोध का उद्देश्य

शोध पत्र में निम्न उद्देश्यों को आधार बनाया गया है :–

1. ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की भूमिका की जांच करना।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा ग्रामीण वंचित महिलाओं के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में आए हुए बदलावों की दशा और दिशा को समझना।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण में आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान का संज्ञान प्राप्त करना।
4. सबलीकृत महिलाओं की सजगता, अधिकारों की स्वपालना और दूसरों के लिए पालन कराने की क्षमता को ज्ञात करना।

शोध प्रविधि

शोध अध्ययन का मूलभूत आधार शोध सामग्री, तथ्यों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है। प्राप्त तथ्यों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन प्रस्तुतीकरण किया गया है। शोध में प्राप्त तथ्यों की आवश्यक जांच व विश्लेषण के उपरांत ही उन्हें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा तथ्यों के संकलन के लिए दैव निदर्शन विधि का प्रयोग कर अध्ययन क्षेत्र का चुनाव, अवलोकन और साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राप्त प्राथमिक एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक समंको का ग्राफीय प्रदर्शन कर विश्लेषण व निर्वचन किया गया है।

उपकल्पना

प्रस्तुत शोध पत्र में निम्न परिकल्पना की गई है –

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है इसने वंचित महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सामर्थ में वृद्धि की है।
2. महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के प्रति राष्ट्रीय स्तर के 56 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लगभग 40 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी, कार्यक्रम के लिए आवेदनों की कमी और 15 दिनों के भीतर काम की अनुपलब्धता, जन जागरूकता का अभाव प्रदर्शित करती है।
3. महिलाओं के कार्यस्थल पर असुविधा, बच्चों की देखरेख की अव्यवस्था, महिला सुरक्षा, कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भत्ते ना देने की समस्याएं बनी हुई हैं।

4. यद्यपि लक्ष्य के अनुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में समय–समय पर अनेक संशोधनों के द्वारा केंद्र व राज्य स्तरीय प्रयत्न किए जा रहे हैं बावजूद इसके जमीनी धरातल पर इसकी व्यावहारिकता कम ही दिखाई दे रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम एक परिचय

यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर उन्नयन एवं ग्रामीण भारत में ढांचागत विकास के लिए कृत संकल्प है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिवर्ष 100 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने व ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए और ग्रामीण वंचित महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत इस योजना को 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदापल्ली ग्राम से लागू किया गया। इसके पहले चरण में इस योजना को देश के अत्यंत पिछड़े हुए 200 ग्रामीण जिले में लागू किया गया और वित्त वर्ष 2007–08 में 130 जिले इसमें और शामिल किए गए। तत्पश्चात 1 अप्रैल 2008 को तृतीय चरण में 100ः शहरी जिलों को छोड़कर भारत के अवशेष 585 ग्रामीण जिले में इसे लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम को संशोधित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत इस योजना को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को उनके निवास स्थान के 5 किलोमीटर पर क्षेत्र में 100 दिनों के रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित करना।
2. स्थायी परिसंपत्ति, बेहतर जल सुविधा, भूमि संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के निर्माण के द्वारा गांव में लोगों की जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. ग्रामीण भारत में सूखा – बचाव और बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करना, अमृत सरोवरों का निर्माण कर जल संचित करना एवं उनके द्वारा मत्स्य पालन व सिंचाई की सुविधाएं अवधारित करना।
4. ग्रामीण समाज के वंचित समुदायों विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को कानून द्वारा सशक्त बनाना।
5. ग्रामीण भारत की गरीबी दूर करना और आजीविका संबंधी विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देने के जरिए विकेंद्रीकरण और भागीदारी की विभिन्न योजना को मजबूत बनाना।
6. जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करके लोकतंत्र को सशक्त बनाना और शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

इस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत यह योजना अपनी सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से ग्रामीण भारत में समग्र प्रगति का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। इसका क्रियान्वयन भारत के सभी ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है, इसके अंतर्गत महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी को अनिवार्य

किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को मातृत्व भत्ता, कार्यस्थल पर शिशुगृह, पेयजल और छप्पर उपलब्ध कराया जाता है इसी योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में कोई लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता जिससे ग्रामीण वंचित महिलाओं में सामाजिक समता का भाव सुदृढ़ हुआ है।

आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण

बस्ती जनपद की उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के 27 जनपदों में मध्यवर्ती अवस्थिति है। जनपद में 4 तहसीलें बस्ती सदर, हरैया, भानपुर, रुधौली, 14 विकासखंड और 1246 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 3188 गांव हैं।

तालिका क्रमांक 1

बस्ती जिले में मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों की स्थिति वित्तीय वर्ष –2022–23

Department of Rural Development

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act — 11-Jun-2022 01:48:59 PM

Back

State:UTTAR PRADESH District:BASTI

S4.11 Work Category Wise Women Employment Provided for the financial year 2022-2023

Work Category	Worker Employed		Persondays [in Lakh]		Amount earned during current financial year(In Lakhs)		Amount earned during previous financial year but paid in current year (In Lakhs)	
	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men
Rural Connectivity	1563	2058	0.213	0.27824	45.34929	59.24532	22.35024	27.92964
Water Conservation And Water Harvesting	14774	15080	2.81833	2.87264	600.28875	611.84713	5.19996	5.49372
Renovation of Traditional Water Bodies	7979	8499	1.68515	1.77629	358.92351	378.32361	5.04084	4.4574
Flood Control	500	565	0.0806	0.096	17.1678	20.448	1.8054	0.93636
Drought Proofing	9	13	0.00208	0.00193	0.44304	0.41109	0.18156	0.15708
Irrigation Canals	4647	4894	0.89851	0.9701	191.37609	206.61582	11.91156	12.51336
Irrigation Facilities To SC/ST/IAY/LR	1959	1986	0.39046	0.38271	82.63734	81.03993	18.75453	21.59277
Land development	25464	28793	4.96887	5.65672	1058.33339	1204.82871	59.88624	68.52564
Bharat Nirman Rajeev Gandhi Sewa Kendra	0	0	0	0	0	0	0	0
Coastal Areas	0	0	0	0	0	0	0	0
Rural Drinking Water	0	0	0	0	0	0	0	0
Fisheries	0	0	0	0	0	0	0	0
Rural Sanitation	62	77	0.00856	0.01078	1.82328	2.29614	0.49572	0.72012
Other works	0	0	0	0	0	0	0	0
Grand Total	56957	61965	11.06556	12.04541	2356.34309	2565.05575	125.62605	142.32609

Excel View

रेखाचित्र का स्पष्टीकरण

उ0प्र0 में राज्य स्तर पर मनरेगा मे महिलाओं की भागीदारी जहां लगभग 40 प्रतिशत है वही बस्ती जनपद में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 48 प्रतिशत कि है, इस प्रकार स्पष्ट है कि बस्ती जनपद में मनरेगा योजना के अन्तर्गत महिलाओं की जागरूकता एवं सहभागिता राज्य स्तर से अधिक है, यहां यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में मनरेगा के अन्तर्गत महिला कर्मियों को जनपद में 2356.34309 लाख रूपये मजदूरी के भुगतान

के रूप में दिये गये है, इस प्रकार स्पष्ट है कि मनरेगा के द्वारा बस्ती जनपद की ग्रामीण वंचित महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्ति करण हो रहा है।

उपलब्धियां

- उत्तर प्रदेश राज्य मनरेगा के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण भारत में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला, लोगों को 100 दिन के काम की गारंटी के साथ महिलाओं की प्रसूति पर 1 माह के अवकाश व सर्वाधिक कार्य दिवस एवं बजट देने वाला राज्य है।
- मनरेगा के अंतर्गत मातृत्व प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को बिना काम के मजदूरी प्रदान की जाती है।
- बस्ती जिले में मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों में ग्रामीण महिलाओं का योगदान लगभग 48ः ह जो उत्तर प्रदेश मैं महिलाओं के औसत योगदान से अधिक है।जिससे जिले को महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

समस्याएंः–

- कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए समुचित सुविधा का अभाव है और महिला श्रमिकों को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में समुचित ज्ञान नहीं है।
- महिला श्रमिकों के अशिक्षित होने से मजदूरी भुगतान में मित्रों के द्वारा गड़बड़ी की जाती है, अधिकांश महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता व बेरोजगारी भत्ते का ज्ञान नहीं है।
- प्रायः यह भी देखा गया कि महिला श्रमिकों का फर्जी मस्टर रोल बनाया जाता है जिससे महिलाएं योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाती हैं।
- ठेकेदारों के द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं देखने को मिलती है और कई बार महिलाओं को उनके ग्रामीण क्षेत्र से बाहर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जिससे महिला सुरक्षा का भी खतरा बना रहता है।

समाधानः–

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छप्पर, प्राथमिक चिकित्सा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। शिशु की देखरेख के लिए एक महिला श्रमिक की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जानी चाहिए बच्चों के झूलें एवं खेलने का भी प्रबंध होना चाहिए ।
- महिला श्रमिकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे उन्हें अपने कार्य एवं मजदूरी व भत्तों का स्पष्ट संज्ञान रहे और वह मेटों व अन्य कर्मचारियों के शोषण से शाम को बचा सकें।
- महिलाओं के जॉब कार्ड मस्टररोल से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक महिलाएं परियोजना में सहभाग कर सके जिससे उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

- वंचित महिलाओं के मध्य इस अधिनियम का अधिकाधिक प्रसार किया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश व उनके अन्य जनपदों में अभी भी महिलाओं की सहभागिता राष्ट्रीय औसत 56ः से काफी कम है।
- मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा एवं ठेकेदारों के शोषण से उनका बचाव किया जाना चाहिए।

सुझावः–

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किए गए आवेदन की जांच कर ही जा कार्ड का वितरण किया जाना चाहिए जिससे वंचितों का न सिर्फ कल्याण हो बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य भी हो सके।
- सरकार द्वारा समय पर निधि का भुगतान किया जाना चाहिए जिसस मजदूरों के भुगतान करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
- योजना में कर्मचारियों के नियुक्ति स्थाई तौर पर की जानी चाहिए जिससे कार्यों का विशेषीकरण होगा जिसका लाभ श्रमिकों और सरकार दोनों के साथ होगा।
- मनरेगा मजदूरों को समय–समय पर शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वह अपने शोषण से स्वयं को बचा सके साथ ही सरकार को किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करवाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसी विसंगतियों को रोका जा सके।
- मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण भारत की आधारभूत संरचना का न सिर्फ विकास हो बल्कि आवंटित बजट एवं श्रमिकों के योगदान का सही उपयोग भी सिद्ध हो सके। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर मनरेगा मजदूरों के उचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने वर्तमान आधुनिक समाज के बराबरी के लक्ष्य की प्राप्ति में भारतीय ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस अधिनियम ने ग्रामीण भारत की आधारभूत संरचना के विकास एवं वंचित समाज के लोगों के जीवन स्तर के उन्नयन में लोगों को उनके ही ग्रामीण परिवेश में 5 किलोमीटर परिक्षेत्र के भीतर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देकर उल्लेखनीय योगदान दिया है। यद्यपि अभी भ्रष्टाचार के चलते जिन उद्देश्यों को लक्षित रखकर इस अधिनियम का निर्माण किया गया और उसके अंतर्गत इस योजना को क्रियान्वित किया गया अपनी संपूर्णता में धरातल पर नहीं उतर सकी है लेकिन कछु एक कमियों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की ग्रामीण वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण में महती भूमिका रही है।

संदर्भ ग्रंथ एवं पत्र पत्रिकाएं :–

1. नेहरू जवाहरलाल द डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिल्ली ऑक्सफोर्ड।
2. वेत्ताई आंद्रे सोशल इनिक्वालिटी इंग्लैंड पेंगुइन।
3. नरसिम्हा शकुंतला 1999 इंट्रोडक्शन एंपावरमेंट वुमन नई दिल्ली सेज।•
4. श्रीनिवास एमएम 2002 द चेंजिंग पोजीशन ऑफ इंडियन वूमेन नई दिल्ली हिंदुस्तान पब्लिकेशन।
5. शर्मा महेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2008।
6. रंजन अनीता मनरेगा एंड वूमेन एंपावरमेंट।
7. आहूजा राम सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां रावत पब्लिकेशन।
8. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा 1 2006 से 2012।
9. मनरेगा समीक्षा 2 2012 से 2014
10. मनरेगा समीक्षा 3
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21।
12. दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, जनसत्ता, अमर उजाला आज।
13. मासिक पत्रिका योजना, कुरुक्षेत्र।
14. Website- www-nrega-nic-in